



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 20, 2011
(SRAVANA 29, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th August, 2011

No. 19—HLA of 2011/55.—The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 19—HLA of 2011

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2011.

2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial Number 5 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely :

Amendment of
Schedule to
Haryana Act 12 of
2006

"6.	NIILM University	District Kaithal".
-----	------------------	--------------------

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions in the State of Haryana for providing higher education to the children of the State. Existing institutions both in Government and Private Sectors are being expended and strengthened. Private Sector is an important player in providing higher education in the State. For encouraging the persons/sponsoring bodies with rich experience of running educational institutions "The Haryana Private Universities Act, 2006" has been formulated.

For achieving the objectives enshrined in the Act, a proposal has been formulated for setting up NIILM University, Kaithal (Haryana).

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 20th August, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 19 – एच० एल० ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006,

को आगे संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवे वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सक्षित नाम
सकता है।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 5 तथा 2006 के हरियाणा
उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी अधिनियम 32 की
जाएंगी, अर्थात् :— अनुसूची की
संशोधन।

"6.	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय	जिला कैथल"।
-----	--------------------------	-------------

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु हरियाणा राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। सरकारी व निजी क्षेत्र में निवर्तमान संस्थानों का विस्तार व सुदृढीकरण किया जा रहा है। राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिये निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। शैक्षणिक संस्थाएं चलाने में अपार अनुभव वाले व्यक्तियों/प्राचार्यों/निकायों को प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 बनाया गया।

अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कैथल में एन०आई०आई०एल०एम० विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रसिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

घण्टीगढ़ :
20 अगस्त, 2011

सुनित कुमार,
साक्षि।